



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा-2017

आयोजन की सूचना दिनांक 06.04.2017

ऑनलाइन आवेदन अवधि	प्रवेश पत्र उपलब्धता अवधि	परीक्षा अवधि
दिनांक 10.04.2017 से	दिनांक 01.07.2017 से	दिनांक 23.07.2017 से
दिनांक 09.05.2017 तक	दिनांक 21.07.2017 तक	दिनांक 26.07.2017 तक

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2017 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 07/परीक्षा/2016 दिनांक 05.12.2016 के संदर्भ में आयोजित की गयी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 31.03.2017 को घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2017 का आयोजन दिनांक 23.07.2017 से दिनांक 26.07.2017 तक इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर संभागीय मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों पर निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :-

दिनांक	विषय	समय
23.07.2017	सामान्य अध्ययन	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
24.07.2017	सामान्य हिन्दी तथा सामान्य अंग्रेजी	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
25.07.2017	ऐच्छिक विषय - प्रथम प्रश्न-पत्र	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
26.07.2017	ऐच्छिक विषय - द्वितीय प्रश्न-पत्र	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक

परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या को कम किया जा सकता है।

02 प्रारंभिक परीक्षा में सफल आवेदकों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2017 (दोपहर 12:00 बजे) से 09.05.2017 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं। आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/-	₹ 800/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	
आवेदन तथा परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी.आनलाइन से हेल्पलाइन -0755-4019400 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं	

03 विलम्ब शुल्क सहित आवेदन :- आयोग की यह मान्यता है कि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन भर देंगे। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09.05.2017 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उपस्थित न हो। अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाते हैं उनकी सुविधा हेतु अन्तिम तिथि के बाद विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन की निम्न व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है :-

1. दिनांक 10.05.2017 से 16.05.2017 तक - ₹ 3000/-

2. दिनांक 17.05.2017 से 15.07.2017 तक- ₹ 25000/-

विशेष : 1. विलम्ब शुल्क की उपरोक्त राशि के साथ परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान पृथक से देय होगा।

2. ₹3000 विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदनों में दिनांक 16.05.2017 तक तथा ₹25000 विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्रों में दिनांक 15.07.2017 तक विहित शुल्क का भुगतान कर त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।

04 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 15.04.2017 से दिनांक 16.05.2017 तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किये जा सकेंगे। त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- (सेवाकर सहित) देय होंगे। जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जायेंगे राज्य वन सेवा परीक्षा 2017 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।

05 मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 21.07.2017 तक www.mponline.gov.in, www.mppsdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जायेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

06 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड (फ़ोटोकापी मान्य)	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र		
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय-पत्र				


07 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कही सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:-

(1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

08 राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2017 में प्रथम प्रश्न-पत्र सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य हिन्दी एवम सामान्य अंग्रेजी, तृतीय तथा चतुर्थ प्रश्न-पत्र वैकल्पिक विषय का प्रथम एवम द्वितीय प्रश्न-पत्र होगा। सामान्य अध्ययन का प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में द्वितीय प्रश्न-पत्र के सम्बन्धित अंश सम्बन्धित भाषा में तथा में होंगे। इन्जीनियरिंग विषयों (सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस/इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग) एवं पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। अन्य वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों हेतु भाषा विकल्प (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) का चयन करना होगा।

09 राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2017 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य वन सेवा परीक्षा 2017 के विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है।


सचिव

